



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

सामरिक शिक्षा

(परीक्षार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये)

Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

--	--	--	--	--	--

(In Words) -

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में  
शब्दों में \_\_\_\_\_

नोट :- परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम — हिन्दी  अंग्रेजी

विषय सामाजिक विज्ञान

परीक्षा का दिन .....

दिनांक .....

नोट :- परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश :- (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुसार प्राप्तांक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दंडित किया जायेगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बारीं और निर्धारित कॉलम में लाल इंक से अंक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परिवर्तित कर अंकित करें (उदारणार्थ : 15  $\frac{1}{4}$  को 16, 17  $\frac{1}{2}$  को 18, 19  $\frac{3}{4}$  को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी

(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15		प्राप्त अंकों का कुल योग (Roundoff)	
16		अंकों में	शब्दों में
17			
18			

परीक्षक के हस्ताक्षर .....

संकेतांक 

--	--	--	--

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका के निर्माण में 58 जी.एस.एम. क्रीमवोव कागज ही उपयोग में लिया गया है। 161/2017

### परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशासा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न—पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न—पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में “समाप्त” लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
  - (i) उत्तर पुस्तिका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहीं गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा “अनुचित साधनों के प्रयोग” के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
  - (ii) उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़ें नहीं। उत्तर—पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त बदलवा लें।
  - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुरतक, लेख, कागज, कलेक्यूलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
  - (iv) वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस—पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
  - (v) अपनी उत्तर पुस्तिका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड रखरप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए एफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न—पत्र हिन्दी—अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जायें।



- (ii) एक जागरुक नागरिक के रूप में हम उच्च न्यायालय के लिए निम्न स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करेंगे - तथा व्यवस्थापिका
- (i) उच्च न्यायालय की कार्यपालिका से पृथक रखा जाना चाहिए और उसके कार्यों में कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का हस्तांक नहीं होना चाहिए।
- (ii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अपने निर्णीयों तथा कार्यों के लिए आलीचना से मुक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

- (12) टॉका - टॉका राजस्थान में परम्परागत जल संग्रहण की विधि है। इसे भूमि में 5-6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसकी भीतरी दीवारों पर राख व मिट्टी का लेप कर दिया जाता है जिससे पानी का रिसाव नहीं हो। इससे अपरी भाग को पठारों या स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है। इसमें धरों की छतों से आने वाले वर्षाजल की आगेर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है।  
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत टॉकों का निर्माण किया जाता है।

- (13) व्यावसायिक फसलें - वे फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों या उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें व्यावसायिक फसलें या मुद्रावालिनी फसलें कहते हैं।  
उदाहरण - गन्ना, कपास, जूट, तम्बाकू आदि।

- (14) धातुलिक खनिज दो प्रकार के होते हैं -
- लौह धातु प्रधान खनिज
  - ओलौह धातु मध्यान खनिज



- (i) लौह धातु प्रधान खनिज - वह खनिज जिसमें लौह का अंश पाया जाता है। जैसे - टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमाइट, पाइराइट, लौह अयस्क आदि।
- (ii) अलौह धातु प्रधान खनिज - वह खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे - तोबा, चौकी, सोना, आदि।

(15) भारत में औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले दो प्रभाव निम्न हैं-

- (i) औद्योगिक प्रदूषण के कारण जल व वायु प्रदूषित हो रही है, जिससे अधिकांश जनसंख्या श्वास संबंधी बीमारियों तथा विभिन्न संक्रामक बीमारियों से ग्रासित हो रही है।
- (ii) औद्योगिक प्रदूषण के कारण जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। समुद्री जीवन भी प्रभावित हो रहा है।

(16) जन्म दर - प्रतिवर्ष प्रतिलिपि हजार व्यक्तियों में जितने जीवित शिशुओं का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। ऊची जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का कारण है।

मृत्यु दर - प्रतिवर्ष प्रतिलिपि हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। निम्न मृत्यु दर भारतीय जनसंख्या की एक अच्छी विशेषता है।

- परीक्षार्थी लुचर
- (7) भारत में पाइप लाइन परिवहन एक नए स्थल परिवहन के रूप में विकसित हुआ है। पहले पाइप लाइनों का उपयोग शाहरों और उद्योगों में जल पहुंचाने के लिए किया जाता था। वर्तमान में इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस आदि को गैस शोधन शालाओं, उर्वरक कारखानों आदि तक पहुंचाने में किया जाता है। इसे विधान का प्रारम्भिक लागत अधिक होती है लेकिन इसे व्यवस्था की लागत न्यूनतम होती है। बाहनान्तरण द्वारा तथा हानियों इसमें विल्कुल नहीं होती है। भारत में निम्न तीन पाइप लाइन परिवहन मार्ग हैं-
- आरी असम से गुवाहाटी - बरोनी - इलाहाबाद से कानपुर तक।
  - गुजरात के सलाबा - वीरम गाँव - मधुरा - दिल्ली - सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक।
  - गुजरात के बड़ोदरा के आसपास के द्वीपों में।
- (8) सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे-
- सड़क पर हमेशा फुटपाथ पर चलेंगे तथा।
  - सड़क पार करने के लिए जेबा कॉसिंग या फुट ऑवर ब्रिज का उपयोग करेंगे।
  - सड़क की हमेशा दोनों तरफ वाहनों को देखकर सुरक्षित पर पार करेंगे।
- (9) ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम - ठोस कचरा प्रबन्धन का वात्यरी ठोस कचरे का सावधानी पूर्वक पुनःप्रयोग, संग्रहण, उपचार, निस्तरारण आदि तकनीकों से निपटान करना। इसके तहत कचरे का संग्रहण करके उसे अलग-अलग प्रकार में विभाजित करना, कचरे के प्रकार के आधार पर उपचार



करना, कचरे का पुनः प्रयोग करना तथा उसका उचित निस्तारण करना सम्मालित है। ठोस कचरे में धूरेलू ठोस अपशिष्ट जैसे सब्जियों, फलों के देखते ही, डिल्बे, ट्लाइटिक का सामान, कृषि अपशिष्ट, अस्पतालों से निकला कचरा आदि सम्मालित होते हैं।

(20) अगर राजाभूमि के शासक हमीर देव चौहान के स्थान पर हम होते, तो अलाउद्दीन के बागियों को संरक्षण नो देते लेकिन उनकी भली प्रकार जानकारी लेते। उनके बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त कर उन्हें संरक्षण देते। अलाउद्दीन के बागियों को लोटने के प्रस्ताव पर विचार करते और अलाउद्दीन की आक्रमण नहीं करने के लिए राजा करते। अलाउद्दीन और उसके बागियों के मध्य समझौता करने का प्रयास करते। यदि अलाउद्दीन सान्धि के लिए तैयार नहीं होता तो हमीर देव चौहान की भाँति शरणागत रक्षा धर्म का पालन करते हुए उससे डटकर मुकाबला करते।

(21) मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन - मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन में शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा के काथ के सहायता करने वाले उन्न्य कमन्चारी भी होते थे। मन्त्री बृष्णु पुरोहित की नियुक्ति राजा द्वारा उनके न्यायिक की भली प्रकार जांच करने के बाद की जाती थी। इसे 'अधिकार परीक्षण' कहा जाता था। कोटिल्य ने अधिकारण में

सचिय के शासन के अंगों - राजा, अमात्य, सेना, पुरोहित, दुर्गी, कोष आदि का वर्णन किया है।

तीर्थ - राजा के शासन कार्य में सहयोग के लिए १४ सदस्यों का एक समूह। विभाग होता था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ थे - चुवराज, मंत्री, पुरोहित तथा सैनापाति।

समाहर्ता - इस अधिकारी का कार्य राजस्व वस्तुल करना, आय-व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना था।

इसके अतिरिक्त प्रशासन में सन्निधान, लूणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, (कुषी प्रमुख), विवीताध्यक्ष (चारागाह), लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, आटविक (वेन विभाग का प्रमुख) आदि अधिकारी होते थे।

(२) इटली के स्कीकरण में मैजिनी का योगदान - इटली के स्कीकरण को दिशा देने के लिए मैजिनी ने १४ डा. ई. में 'योग इटली' नामक संस्था की स्थापना की, इसने शीघ्र ही इटली के राष्ट्रीय स्कीकरण में कार्बोनरी का रूप ले लिया। मैजिनी इटली का स्कीकरण नवयुवकों के माध्यम से करना चाहता है। इस संस्था के नीन नारे थे -

(१) ईश्वर में विश्वास रखो। (२) सब आड़ीयों को एक साथ लाओ। (३) और इटली को स्वतंत्र कराओ। इस संस्था का उद्देश्य इटली की सकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति था। इस से

इस संस्था ने इटली के नवयुवकों में स्वतंत्रता, समानता, देश भक्ति तथा आत्म बलिदान की भावना भर दी। मैजिनी काबूर की भाँति सेनानायक नहीं था किन्तु वह एक आदर्शवादी विचारक, समाज-सुधारक और इटली की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था।



(23) सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ समाज के रूप में लोकतंत्र से है। इसमें व्यक्ति की व्यक्ति के रूप में समान समझा जाता है तथा उसे किसी अन्य व्यक्ति के सुख का साधान मान नहीं समझा जाता है। व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है तथा उसे कानून के समान समझ समानता व समान संरक्षण दिया जाता है। अवहार में सामाजिक लोकतंत्र के लिए निम्न दर्शाएँ आवश्यक हैं-

(i) जाति, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म आदि के आधार पर समाज में व्याप्त विवेषाधिकारी की व्यवस्था का अन्त किया जाए।

(ii) सभी व्यक्तियों की सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किया जाए।

हरिश्चार के अनुसार - लोकतंत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और समानता का सिद्धान्त प्रचलित हो।

(24) धरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से होने वाले चार लाभ निम्न हैं-

(i) वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सम्पूर्ण विश्व में संसाधनों के आवंटन में सुधार कर इसे आधिक कार्यकृताल बनाया है।

(ii) वैश्वीकरण से उत्पादन लागतों में गिरावट आई है, और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।



(iii) वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है।

(iv) वैश्वीकरण से विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी, निवेश, तकनीक, प्रौद्योगिकी आदि का निर्बंध प्रवाह हो रहा है।

(25) मुद्रा - मुद्रा वह कोई भी वस्तु है, जिसे वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के भुगतान के लिए सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। अर्थात् हम वस्तु या सेवा के लिए जो कुछ भी भुगतान करते हैं वह मुद्रा है।

मुद्रा के कार्य-

(i) विनिमय का माध्यम - मुद्रा के द्वारा भुगतान करने हम कोई भी वस्तु या सेवा प्राप्त कर उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है।

(ii) खाते की इकाई या मूल्य का मापक - मुद्रा खाते की इकाई होती है। यह वस्तुओं या सेवाओं की किसी भी मात्रा को खरीदने के लिए उपयुक्त होती है तथा उनका मानक मूल्य तय करती है, हालांकि मुद्रा का स्वयं का मूल्य अर्थात् क्रय शक्ति बदलती रहती है।

(iii) विलम्बित भुगतानों की मानक - ऐसे भुगतान जिन्हें तुरन्त सम्पादित न कर भविष्य के लिए ठाल दिया जाता है, उन्हें विलम्बित भुगतान कहते हैं। त्रिंशि भी एक विलम्बित भुगतान है। मुद्रा के द्वारा विलम्बित भुगतानों को भी पुरा किया जा सकता है। क्योंकि मुद्रा का मूल्य अन्य सम्पत्तियों



से व अधिक स्थिर होता है। मुद्रा के द्वारा आसानी से परीक्षार्थी उत्तर

विलम्बित मुगलानों को पूरा किया जा सकता है।

(26) उपभोक्ता शोषण के चार कारण निम्नलिखित हैं -

- उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा के भुगतान की रशीद / बिल / क्रय संविदा / चैक नहीं लेना।
- किसी वस्तु पर लिखित प्रमार पर विश्वास कर लेना।
- वस्तु या सेवा के इक से अधिक विकल्प होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं करना।
- उपभोक्ता का अधिक्षित होना तथा जागरूक नहीं होना। इस कारण उन्नित तरीके से शिकायत दर्ज नहीं करना।

(27) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा विनायक दामोदर सावरकर के धोगदान का वर्णन निम्नलिखित है -

- श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इण्डिया हाऊस की स्थापना - श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने कोई लन्दन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टरी की। भारत लौटने पर ब्रिटिश रेजीडेंटों के अवहार से दुःखी होकर उन्होंने भारत भारत को स्वतंत्र कराने का निर्णय किया। उन्होंने 1905 में लन्दन में भारत स्वशासन समिति, जो इण्डिया हाऊस कही जाती है, का गठन किया। विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल धींगरा जैसे

परीक्षार्थी उत्तर

क्रान्तिकारी इसके सदस्य बने। उन्होंने भारत से जन्मन आने वाले भारतीयों के लिए एक-एक हजार की 6 कैलोशिप भी प्राप्ति की। उनके कार्यों से ब्रिटिश सरकार नाराज होकर अकेपी चारों बाद में श्रयामजी कुण्डा लमा भारत को इकरार प्रदिश पेरिस चले गए और वहाँ से क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जारी रखी। विनायक दामोदर सोबत्कर - थे एक महान क्रान्तिकारी थे। उन्होंने 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर फर्म्युसन कॉलेज में फ़ार्खिला दिया। इन्होंने बंगलांग के नवरोदय में मिशन-मैला नामक संगठन बनाकर विदेशी बश्तों की होली जलाई सन् 1906 में 'अधिनव भारत' की स्थापना की। ये ऐसे पहले क्रान्तिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं दे जान्मीं के आजीवन कारबास की सजा दी। इन्हें इनकी पुस्तक प्लान्ट 'इडियनवार ओफ इन्डिपेंडेन्स' प्रकाशित होने से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार हारस जल्त कर ली गई, उन्होंने 1857 की क्रान्ति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। इनके जीवन का एक लम्बा समय अठडमान की सेलुलर जेल में बीता। इनके साहस और वीरता के कारण जनता ने उन्हें 'वीर' की उपाधि से सुशोभित किया।

(28) राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विद्यार्थिका विद्यार्थी शक्तियों का बीच निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है-

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ - १

संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार - देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं व अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।



परीक्षक द्वारा प्रश्न प्रदत्त अंक संख्या

परीक्षार्थी उत्तर

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शाकितया निम्न है-

- (i) शासन संचालन का अधिकार - राष्ट्रपति देश के शासन संचालन के लिए महत्वपूर्ण नियम बना सकता है। वह शासन के कार्यों को मंत्रियों में बांटे जाने के सम्बन्ध में भी नियम बना सकता है।
- (ii) पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार - राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जैसे - प्रधानमंत्री, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
- (iii) राज्य के शासन पर नियंत्रण - 'राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की धोषणा करके वहाँ का शासन अपने हाथों में ले सकता है।
- (iv) वैदेशिक क्षेत्र में अधिकार - विदेशों के साथ विभिन्न संधि - समझौते करना, विदेशी राजदूतों के समाज - पत्र स्वीकार करना और विदेशों में अपने राजदूत नियुक्त करना आदि कार्य राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं।
- (v) सैनिक क्षेत्र में अधिकार - राष्ट्रपति तीनों सेनाओं - जल, थल व वायु सेना का संचालन सेनापति होता है लेकिन वह सेना सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है।
- (vi) विभिन्न आयोग व परिषदों की नियुक्ति - राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों जैसे - राजभाषा आयोग, लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक वर्ग की दशा सुधारने सम्बन्धी आयोगों की नियुक्ति भी करता है।



विद्यार्थी शक्तियाँ - राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इस रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न हैं-

(i) विभिन्न सदस्यों का मनोनयन - राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, जिन्हें कला, साहित्य, किञ्चन, खेल, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, वह लोकसभा में दो उंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

(ii) विद्यार्थी क्षेत्र का प्रशासन सम्बन्धी अधिकार - राष्ट्रपति दोनों संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और उसे स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर लोकसभा को छंग भी कर सकता है।

(iii) अद्यादेश

(iii) अद्यादेश जारी करने का अधिकार - जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अद्यादेश जारी कर सकता है।

(iv) विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति - संसद द्वारा पारित कीई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर ही कानून का रूप धारण करता है। वह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है।

(29) उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र व शक्तियों की विवेचना निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत की जा सकती है-

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अन्तर्गत विवाह (विधि, कम्पनी कानून), विवाह विदेशन आदि के मामले भी आते हैं।



(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालय में किसी भी जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार निम्न है -

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - आयकर, पेटेंट आदि से सम्बन्धी मामलों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

उपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार - यदि किसी निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को बर्बी के कारबस्या मूल्युदण्ड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार - संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी भी मामले की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

(iii) अभिलेख न्यायालय - संविधान द्वारा उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय का दर्जी दिया गया है। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्ष्य रूप में माने जाएंगे और उनकी प्रामाणिकता के विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है।

(iv) याचिका अधिकारिता - उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध आदि रिट जारी की जा सकती है।

(v) संविधान का रक्षक - न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति - उच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होता है उसके द्वारा

किसी कानूनों की वैधानिकता की जाँच की जा सकती है। वह किसी कानून की अवैध घोषित कर सकता है।

(vii) परामर्शदाता करने का अधिकार - राज्य का राज्यपाल किसी विधिया कानून के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्च न्यायालय के परामर्श को मानना या न मानना राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

(1) अशोक के रम्मनदैर्घ्य अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने दक्षिण अपने राज्य के कुछ भागों की धारा कर वहाँ कर  $\frac{1}{6}$  से घटाकर  $\frac{1}{8}$  कर दिया।

(2) जयपुर का जन्तर-मन्तर राजा सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई एक सौर-वेदशाला है।

(3) आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप निम्न हैं-

- (i) संसदीय लोकतंत्र
- (ii) अध्यक्षात्मक लोकतंत्र

(4) इन्टरनेट के दो लाभ निम्न हैं-

- (i) इन्टरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिस की जा सकती है।
- (ii) इन्टरनेट से चित्र व वॉलपेपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखे व भेजे जा सकते हैं।



(5) स्कृ. वित्तीय

(5) राष्ट्रीय आय - स्कृ. वित्त वर्ष में उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप प्राप्त अन्तिम वस्तुओं और उत्पादित आय का योग, राष्ट्रीय आय कहलाती है।

(6) भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है।

(7) प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा उत्पादन किया जाता है। इसमें कृषि, डेयरी, खनन आदि सम्मिलित हैं।

(8) सामान्य कीमत स्तर से तात्पर्य कस्तु अनेक वस्तुओं या वस्तु समूह की कीमत के असार स्तर से है। इसका तात्पर्य केवल एक वस्तु की कीमत से नहीं है।

(9) जब रोजगार के योग्य व इच्छुक व्यक्ति को रोजगार बाह्य पर उसकी धौरयता के अनुकूप रोजगार नहीं मिल पाता है, तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं।

(10)

भारत में गरीबी के मापन का प्रथम प्रयास सन् 1868 में  
दादा भाई नौरोजी ने किया था।